

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-49/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० सुप्रिया कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा द्वारा दिनांक-16.07.2019 से 03.10.2019 तक कुल-80 (अस्सी) दिन एवं दिनांक-20.04.2022 से 17.06.2022 तक कुल-59 (उनसठ) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1057(25) दिनांक-26.05.2025 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-49/2025- 163(2) पटना, दिनांक 29/01 /2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/ उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/सुप्रिया कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. Rastogi
सरकार के उप सचिव